

**NRrhl x< jkT; ea uxjh; LFkkh; fudk; ka dks
I gk; rk vuqku , d oqr I eh{kk**

11.1.0 प्रस्तावना :

11.1.1 संघीय वित्त एवं स्थानीय निकाय संबंधी एक पूर्व अध्याय में हमने व्यक्त किया है, कि संघीय व्यवस्था में पदक्रम में सरकार के उच्च स्तर से निम्न स्तर को हस्तांतरण, राज्य सरकार से लेकर स्थानीय निकायों तक के वित्त का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये हस्तांतरण दो स्वरूपों में हो सकते हैं— कर राजस्व में हिस्सेदारी एवं सहायता अनुदान। इन हस्तांतरणों की मंशा स्थानीय निकायों के व्यय उत्तरदायित्व एवं उनकी राजस्व उगाने की क्षमता के बीच असांमजस्य, जो आंशिक रूप से उनकी राजकोषीय अयोग्यताओं से बाधित होता है, से उत्पन्न राजस्व अंतराल के एक भाग की पूर्ति करना होता है।

11.1.2 इन हस्तांतरणों के औचित्य का आधार यह है, कि **u-LFkk-fudk; ka** को ऐसे कार्य सौंपे जाते हैं, जिनका लाभ उनकी सीमा रेखाओं के बाहर तक जाता है इसलिये वे राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय महत्व के होते हैं। संविधान की **vuq ph XII** में ऐसे कार्य शामिल हैं, जिनका प्रभाव **u-LFkk-fudk; ka** की सीमाओं के बाहर तक विस्तारित है।

11.1.3 **I gk; rk vuqku** का औचित्य दो आधारों पर किया जाता है : (i) **yEcor- vl rgyu** को कम करना, (ii) विभिन्न श्रेणी के **u-LFkk-fudk; ka** के बीच एवं प्रत्येक श्रेणी के **u-LFkk-fudk; ka** में आपस में व्याप्त **{krt vl rgyu** को कम करना। **ieqkr% dj fgll nkjh I s yEcor- vl rgyu , oa I gk; rk vuqku I s {krt h; vl ekurk; a de gkus dh vk'kk dh tkrh g**

11.1.4 स्थानीय वित्त में **I gk; rk vuqku** एवं **I k s x; sjkLo** के महत्व को स्वीकारते हुये, वित्त आयोग के विचाराधीन विषयों में से एक में उससे अपेक्षा की गई है, कि इन विषयों पर अपनी अनुशंसायें दें : (i) सिद्धांत जिनके आधार पर राज्य सरकार से

स्थानीय निकायों को सहायता अनुदान दिये जाये, (ii) राज्य के संचित कोष से कितनी राशि सहायता अनुदान में दी जाय तथा (iii) **dfri ; djka** से प्राप्त राजस्व का कितना भाग स्थानीय निकायों को सौंपा जाय।

11.1.5 इस अध्याय में हम (i) राज्य सरकार से स्थानीय निकायों को **l gk; rk vuqkuka** एवं **l kī s x; s jktLo** के माध्यम से किये जाने वाले हस्तांतरणों की वृहत समीक्षा करेंगे, (ii) उन **fl) karka** की चर्चा करेंगे, जिनके आधार पर सहायता अनुदानों का नियमन हो। हम यह भी परीक्षण करेंगे, कि कहाँ तक राज्य में **vuqkuka , oa l kī s x; s jktLo** के माध्यम से होने वाले हस्तांतरणों में इन सिद्धांतों का पालन किया जाता है। “**uxjh; LFkkuh; fudk; ka ds fy; s jkt dk'kh; i dīst**” नामक एक अन्य अध्याय में हम राज्य के लिये एक सहायता अनुदान प्रणाली तथा अधिनिर्णय अवधि में **u-LFk-fudk; ka** को दी जानी वाली राशियों संबंधी सुझाव देंगे।

11.2.0 सहायता अनुदानों की भूमिका :

11.2.1 देश में संघीय वित्त की समीक्षा करते समय हम पहले ही कह चुके हैं, कि एक संघ में सरकार के कई स्तर होते हैं, जिनका अपना-अपना अधिकार क्षेत्र होता है। श्रेणीबद्ध संगठन में उच्च श्रेणी से निम्न श्रेणी को राशियों का हस्तांतरण इसलिये आवश्यक हो जाता है, कि उनके कार्यों एवं उत्तरदायित्वों तथा वित्तीय साधनों के बीच सुसंगमता के अभाव में वित्तीय असंतुलन निर्मित होता है। ये असंतुलन लम्बवत् अथवा क्षैतिज हो सकते हैं। लम्बवत् असंतुलन राज्य अथवा स्थानीय सरकार के स्तर पर कार्यों एवं वित्त के बीच असंतुलन के कारण उत्पन्न होते हैं। क्षैतिज अंतर विभिन्न राज्यों एवं स्थानीय निकायों के बीच आकार, जनसंख्या, आर्थिक आधार तथा साधनों की उपलब्धता में अंतर के कारण होते हैं। क्षैतिज अंतरों की जड़े विभिन्न क्षेत्रों की क्षमताओं एवं आवश्यकताओं तथा सेवा प्रदाय की लागत के अंतरों में होती है। संघीय व्यवस्था में इन अंतरों को पाटने के लिये केन्द्र से राज्यों एवं राज्यों से स्थानीय निकायों को लम्बवत् एवं क्षैतिज हस्तांतरणों के रूप में विधिक (statutory) एवं गैर-विधिक (non-statutory) दोनों प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाती हैं।

11.2.2 *jkt dkskh; gLrkj.kka ds nks iedk rjhds gksr g& dj varj.k ; k djka ea fgLI snkjh rFkk I gk; rk vuqkuA nkska dh gh dN Li "V fo'ksrk; a gksh g* कर अंतरण में निहित लचीलापन होता है, क्योंकि हस्तांतरण करने वाली सरकार के कर राजस्व में उत्प्लावक होने पर उसमें स्वयमेव वृद्धि हो सकेगी। परन्तु उसमें यह भय भी है, कि जब उत्प्लावकता अपेक्षित वृद्धि से कम होती है, तो परिणामस्वरूप कर अंश में भी कमी होगी। कर हिस्सेदारी की तुलना में सहायता अनुदान बेहतर होते हैं, क्योंकि ये मौद्रिक रूप में निश्चित होते हैं तथा इन्हें राज्यों/स्थानीय निकायों, वर्गों एवं उद्देश्यों के प्रति लक्षित किया जा सकता है। अनुदान राज्यों/स्थानीय निकायों के राजस्व को अधिक स्थिरता प्रदान करते हैं तथा समानीकरण सिद्धांत को लागू करने में सहायक होते हैं। *fof'kV mnnskh; , oa I 'krZ vuqkuk* जो विशिष्ट उद्देश्य के लिये होते हैं, से क्षैतिज असंतुलन कम हो सकते हैं। सहायता अनुदानों के इन गुणों के बावजूद अनुभव बताता है, कि राज्य/स्थानीय निकाय *dj fgLI snkjh* को अधिक पसन्द करते हैं, *D; kfd bl ea gLrkj.k fcuk 'krZ gksrk gS* तथा उसे अधिकार के रूप में लिया जाता है। *Hkjr ea gLrkj.kka dh orZku ; kstuk ea dj varj.kka dh yEcor- , oa {krt vl ryuka dks de djus dh nksjh Hkfedk gS ; /fi {krt vl ryu de djus dh nt jh Hkfedk dks de fd; k tk jgk g*

11.2.3 भारत में वर्तमान में *dsfo-vk-* की प्रवृत्ति, हस्तांतरण योजना में अनुदानों का अनुपात बढ़ाने की प्रतीत होती है। *XIIOa fo-vk-* द्वारा अनुशंसित कुल हस्तांतरणों में सहायता अनुदान लगभग 19% थे, जबकि इसकी तुलना में, *XIOa fo-vk-* की अंतरण योजना में यह लगभग 13% थे। ऐसा राज्यों के लम्बवत् अंतराल को कम करने के लिये कर हिस्सेदारी का अधिक उपयोग करके तथा राज्यों के बीच क्षैतिज असमानताओं को घटाने के लिये सहायता अनुदानों का अधिक सहारा लेकर किया गया है। यही प्रवृत्ति अब काफी सीमा तक *jk-fo-vk; kskk* की अनुशंसाओं पर आधारित स्थानीय निकायों के लिये उनके राजकोषीय पैकेजों में दृष्टिगोचर हो रही है। संभवतः यह इस तथ्य के कारण है, कि अधिकांश राज्यों में अभी तक सहायता अनुदानों की व्यवस्थित प्रणाली विकसित नहीं हो पाई है तथा स्थानीय निकायों को अनुदान प्रदाय अभी भी तदर्थवाद पर आधारित हैं, परन्तु यदि हम राज्य सरकारों के कुल हस्तांतरणों में सौंपा गया

राजस्व एवं मुआवजे शामिल कर लें तो मिश्रित हस्तांतरण, कर हिस्सेदारी के हस्तांतरणों से अधिक होंगे।

- 11.2.4 यह देखते हुये, कि स्थानीय निकायों में क्षैतिज असमानतायें काफी अधिक हैं, यह उचित होगा, कि **jk-fo-vk** अपनी हस्तांतरण योजनाओं में सहायता अनुदानों को समुचित महत्व दें। राज्य सरकारों को भी राज्य के स्थानीय वित्त में अनुदानों की उपयुक्त भूमिका को समझना चाहिये। वित्त आयोगों से ऐसे अंतरण फार्मूला विकसित करने की अपेक्षा की गई है, जो साम्यता एवं दक्षता के बीच संतुलन रखें। जहाँ अंतरण की कर हिस्सेदारी योजना में दक्षता का मापदण्ड निर्णायक हो सकता है, वहीं सहायता अनुदानों के माध्यम से किये जाने वाले हस्तांतरणों की योजना में साम्यता के मापदण्ड प्रमुख होने चाहिये, परन्तु स्थानीय स्तर पर अनुदान प्राप्त करने वाले स्थानीय निकायों की अत्यधिक संख्या एवं क्षैतिज असंतुलनों के आकार संबंधी विश्वसनीय समकों के अभाव के कारण साम्यता मापदण्ड का उपयोग कठिन होता है। इन परिसीमाओं के बावजूद क्षैतिज असमानतायें कम करने में सहायता अनुदानों की भूमिका में वृद्धि करने की दिशा में कुछ पहल अवश्य होनी चाहिये।

11.3.0 सहायता अनुदानों के प्रकार :

- 11.3.1 सहायता अनुदानों को मोटे तौर पर एक **edr ; k l keW; mnns'kh; , oa fof'k"V mnns'kh; vupku** में विभाजित किया जाता है। सामान्य उद्देशीय अनुदान **u-LFkk-fudk; ka** के पास अपने सामान्य क्रियाकलापों के लिये उपलब्ध सामान्य साधनों के पूरक के रूप में लिया जाता है तथा इनके साथ कोई शर्त नहीं होती। इन अनुदानों को किन-किन कार्यों के लिये उपयोग में लाया जा सकता है, यह स्थानीय निकायों के विवेकाधीन होता है तथा वे अपनी प्राथमिकतायें स्वयं तय कर सकती हैं। अपेक्षा की जाती है, कि ऐसे अनुदानों से साधनों का अधिक कुशल उपयोग होगा। उनका उद्देश्य स्थानीय निकायों को आय के ऐसे आवश्यक न्यूनतम स्तर तक उठाना होता है, जिससे वे अपने अत्यावश्यक उत्तरदायित्वों को निभाने में वित्तीय रूप से जीवनक्षम हो सकें। भारत में **u-LFkk-fudk; ka** के **l keW; mnns'kh; vupku** का अर्थ समग्र नगरीय स्थानीय प्रशासन एवं सेवाओं की लागत में सहायता करना है। इस प्रकार के

अनुदान पाने की एक ही शर्त होती है, कि नगरीय निकाय नगर पालिका अधिनियम में प्रावधानित करों को लगायें एवं उन्हें वसूलने के लिये सभी आवश्यक प्रयास करें, क्योंकि नगरीय क्षेत्रों में सेवाओं के स्तर एवं क्षमताओं में भारी असमानतायें हैं, अतः **{krt vl ekurkva** को कम करने के उद्देश्य से वित्त आयोग **u-Lfk-fudk; ka** के लिये अपनी अंतरण योजना में **l kkl; mnns'kh; vuqkuka** के माध्यम से साम्यता के गुण का समावेश कर सकता है।

11.3.2 सामान्य उद्देशीय अनुदानों के अतिरिक्त **u-Lfk-fudk; ka** को **fof'k'V vuqku** भी प्राप्त होते हैं, जिनका लक्ष्य कुछ चिन्हित क्रियाकलाप जैसे – कतिपय सेवाओं यथा पेयजल, स्वच्छता, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का उन्नयन एवं सुधार, गंदी बस्तियों में सुधार, मार्ग प्रकाश, मार्गों का रख-रखाव आदि होते हैं। इन अनुदानों के साथ शर्त होती है, कि विशिष्ट सेवा को दक्षता के एक विशिष्ट स्तर पर प्रदाय किया जाय तथा **LFkkuh; fudk; vuqku** प्रदाता अभिकरण द्वारा निर्धारित सीमा तक अपने स्वयं के साधनों का दोहन करें। इन अनुदानों की प्रमुख माँगें होती हैं ऐसी क्रियाओं के निष्पादन का अनुदान के निहित उद्देश्यों के संदर्भ में मूल्यांकन, कार्यक्रमों की समीक्षा एवं आवश्यक परिवर्तन, परियोजना की सतत् मानीटरिंग तथा प्रगति प्रतिवेदनों के साथ अंकक्षित लेखों की समय से प्रस्तुति। विशिष्ट अनुदानों के पक्ष में सैद्धांतिक तर्क यह है, कि इनसे वांछित दिशाओं में स्थानीय प्रयास को प्रोत्साहन मिलता है, इनसे स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता पर राज्य सरकार के नियंत्रण का आधार मिलता है। विशिष्ट अनुदान कमियों से भी मुक्त नहीं हैं। कुछ कमियाँ निम्नानुसार हैं: (i) जब ये संख्या में अधिक हो जाते हैं तथा संकुचित रूप से परिभाषित होते हैं, तो ये उद्देश्यों में कठोरता एवं विचलन को जन्म देते हैं, (ii) **vuqku ds l kfk t'kh 'krj hkhj eyd gks tkrh g' ftl l s dHh&dHh Lo'kkl u dk mnns'; gh l eklr gks tkrk g'** (iii) स्थानीय आवश्यकताओं के भिन्न होते हुये भी वे कुछ **fof'k'V izdkj dh l skvka** के प्रति पक्षपातपूर्ण झुकाव उत्पन्न करते हैं।

11.3.3 सामान्य उद्देशीय एवं विशिष्ट दोनों प्रकार के अनुदानों के गुण दोष हैं। अकेले किसी एक का उपयोग संभव नहीं है। व्यावहारिक रूप से दोनों का सम्मिश्रण अधिक उपयोगी होगा।

- 11.3.4 अनुदानों पर अत्यधिक निर्भरता से स्थानीय निकायों की स्वायत्तता प्रभावित होगी तथा संभव है, इससे वित्तीय दुराचरण फैले। अतएव कर हिस्सेदारी एवं सहायता अनुदान दोनों का एक उचित मिश्रण आवश्यक है। प्रत्येक संघ में दोनों की अपनी-अपनी भूमिकाएं होती हैं।
- 11.3.5 प्रत्येक अनुदान किसी स्थानीय निकाय के क्रियाकलापों को निम्नलिखित तीन में से किसी एक या अधिक रूप में प्रभावित करता है –
- शर्तों का प्रभाव अर्थात् संभव है, कि स्थानीय निकाय को अनुदान प्रदाता एजेंसी के द्वारा लगाई गयी कुछ शर्तें पूरी करनी हो,
 - तटस्थता प्रभाव अर्थात् स्थानीय निकाय को बिना किन्हीं विभागीय शर्तों के व्यय हेतु स्वतंत्र छोड़ दिया जाय,
 - प्रेरित प्रभाव अर्थात् स्थानीय निकाय को किसी विशेष प्रकार से कार्य करने के लिये प्रेरित किया जाय, जिससे ऐसा करने से उसे अनुदान प्राप्त हो सके।
- 11.3.6 इस भाग की चर्चा के सारांश के रूप में कहा जा सकता है, कि सामान्य उद्देशीय अनुदानों को सुविधापूर्वक **u-Lfk-fudk; k** के निष्पादन के साथ ऐसे संबद्ध किया जा सकता है, कि वे अधिक कर एवं गैर-कर राजस्व जुटा सकें। दूसरी ओर विशिष्ट अनुदान **u-Lfk-fudk; k** की प्राथमिकताओं को उन दिशाओं की ओर मोड़ सकते हैं, जिन पर राज्य सरकार के मत में अधिक ध्यान देना आवश्यक है।

11.4.0 अनुदानों की रूपरेखा निर्धारण के कतिपय सिद्धांत :

- 11.4.1 राज्य में **l gk; rk vuqkuka** की प्रणाली निम्न सिद्धांतों के आधार पर निर्धारित की जा सकती है :
- पूर्वानुमानक्षमता : अनुदान इस प्रकार तय किये जायें, कि स्थानीय निकाय पूर्व से ही प्रतिवर्ष अपने हिस्से के आबंटन का अनुमान कर सकें एवं तदनुसार अपनी व्यय प्राथमिकतायें नियोजित कर सकें,

- (ii) अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्राथमिकतायें तय करने की स्वतंत्रता एवं लोचशीलता होनी चाहिये,
- (iii) अनुदान : आबंटन का मापदण्ड वस्तुपरक एवं मापनीय हो,
- (iv) साम्यता : अनुदान राजकोषीय आवश्यकताओं के साथ बदलें तथा क्षेत्रीय असमानताओं का समाधान करें,
- (v) तटस्थता : अनुदान की राशि एवं उसका प्रकार विभिन्न स्थानीय कार्यों एवं प्राथमिकताओं के प्रति तटस्थ होना चाहिये,
- (vi) स्थिरता : गैर-योजना साधन एवं गैर-योजना अनुदान का अनुपात स्थिर होना चाहिये,
- (vii) अनुदान प्रणाली में सुदृढ़ राजकोषीय प्रबंधन एवं साधनों के अनुकूलतम उपयोग हेतु प्रेरक तत्व हों,
- (viii) राज्य सरकार उसके अपने लिये उच्च प्राथमिकता वाले स्थानीय मदों के व्यय को विशिष्ट अनुदानों के माध्यम से प्रभावित कर सकती है,
- (ix) अनुदानों की अत्यधिक संख्या से बचना चाहिये एवं सभी अनुदानों को सीमित संख्या के शीर्षकों में वर्गीकृत करना चाहिये,
- (x) अनुदान प्रणाली में समुचित मानीटरिंग तथा अनुदानों के उपयोग की समीक्षा के लिये उपयुक्त व्यवस्था का प्रावधान होना चाहिये,
- (xi) अनुदान प्रणाली एवं अनुदानों के उपयोग में पारदर्शिता होनी चाहिये।

11.5.0 राज्य में सहायता अनुदान प्रणाली :

11.5.1 अभी तक देश के अधिकांश राज्यों में सहायता अनुदान की कोई सुपरिभाषित एवं व्यवस्थित प्रणाली विकसित नहीं हो सकी है। बहुत कम राज्य सहायता अनुदान के

ऐसे कोड बना पाये हैं, जिनमें विस्तार से प्रक्रिया एवं नियमावली दी हो। स्थानीय वित्त जाँच आयोग (1951), कर जाँच आयोग (1953), जकारिया समिति रिपोर्ट (1963), मध्य प्रदेश स्थानीय शासन (नगरीय) जाँच समिति (1959) एवं हाल ही में बड़ी संख्या में राज्यों के **jk-fo-vk; kska** की अनुशंसाओं के बावजूद यह स्थिति विद्यमान है।

11.5.2 नया राज्य छत्तीसगढ़ मोटे तौर पर अनुदान की उसी प्रणाली पर कार्य करता है, जो तत्कालीन मध्यप्रदेश राज्य में थी। राज्य की **u-LFkk-fudk; ka** को सामान्य उद्देशीय अनुदान बहुत कम प्राप्त होते हैं, जिनमें से अधिकांश **jk-fo-vk** एवं **dsfo-vk** की अनुशंसाओं के अनुसार होते हैं। सामान्य उद्देशीय अनुदानों के अतिरिक्त कुछ विशिष्ट अनुदान भी सड़कों के रख-रखाव, पेयजल व्यवस्था, पर्यावरणीय सुधार तथा आदिवासी उपयोजना, राजस्व लेखे के अंतर्गत कुछ मदों के लिये दिये जाते हैं। अनुदानों की तुलना में **u-LFkk-fudk; ka** को कहीं अधिक राशियों का हस्तांतरण कर राजस्व सौंपने तथा **lhek 'k'd , oa; k=h dj** जैसे कतिपय करों की क्षतिपूर्ति के रूप में किया जाता है।

11.5.3 वर्तमान में राज्य के **u-LFkk-fudk; ka** को निम्नलिखित सहायता अनुदान प्राप्त हो रहे हैं :

- (i) सड़कों के रख-रखाव हेतु सहायता अनुदान – राज्य सरकार द्वारा वसूले गये **ekVj; ku dj** का एक अंश प्रति व्यक्ति आधार पर नगरीय निकायों को सड़कों के रख-रखाव पर होने वाले व्यय की आंशिक पूर्ति हेतु जाता है,
- (ii) प्रतिवर्ष **fcØhdj** पर लगाये गये उपकर का कुछ प्रतिशत **u-LFkk-fudk; ka** को अत्यावश्यक एवं आधारभूत सेवाओं में सुधार के लिये आबंटन हेतु हस्तांतरित किया जाता है,
- (iii) **fof'k"V vuṅku]** जिन्हें विशिष्ट उद्देशीय अनुदान कहा जाता है, विशेष घटक योजना अनुदान तथा आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत अनुदान,

- (iv) **jk-fo-vk-** की अनुशंसाओं के अनुसार **I keku; mnns'; ka** के लिये अनुदान,
- (v) **dsfo-vk-** की अनुशंसाओं के अनुसार **I keku; mnns'; ka** के लिये अनुदान,
- (vi) **dfri; djka ds I kfs x; sjktLo I x/th vuqku rFkk dfri; djka dks I eklr fd; s tkuz ftlga iwl ea u-LFkk-fudk; yxk; k djrh Fkh I smRiUu jktLo gkfu dh {kfri firz ds : i ea vuqkuA**

11.5.4 **e/; ins'k ds iFke jkfo-vk-** ने **u-LFkk-fudk; ka** को अपने स्वयं के साधनों के शोषण हेतु **ikRl kfgR djus dh nr'V Is ij.kk** अनुदानों की एक प्रणाली की अनुशंसा की थी, परन्तु इन प्रेरणा अनुदानों की मानक मात्रा एवं औचित्य राज्य सरकार के विवेक पर छोड़ दिये गया था।

11.5.5 **e/; ins'k ds nr'js jkfo-vk-** ने **u-LFkk-fudk; ka** के लिये **I keku; mnns'kh; vuqkuls** की अनुशंसा की थी। अनुशंसित मानदण्ड की कुछ आवश्यकताएँ थी, जो प्रमुखतः जनसंख्या आधारित थी, परन्तु उसमें कुछ प्रेरक तत्व **u-LFkk-fudk; ka** को पिछले वर्ष की मांग की तुलना में अपने **I Eifr dj dh ol yh** में सुधार करने के उद्देश्य से शामिल किया गया था। उसके अंतर्गत प्रति व्यक्ति अनुदान की मात्रा सम्पत्ति कर की वसूली के प्रतिशत में सुधार के साथ-साथ बढ़ाने का प्रावधान था, परन्तु सामान्य उद्देशीय अनुदानों की प्रकृति अनाबद्ध प्रकार की थी। जिसका उपयोग **u-LFkk-fudk;** अपने विवेक से आधारभूत सेवाओं में सुधार की अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार कर सकते थे।

11.6.0 राज्य के नगरीय स्थानीय निकायों के कुल राजस्व में सहायता अनुदानों का स्थान :

11.6.1 इस तथ्य के बावजूद कि समंक समग्र प्रकार के हैं। अब हम **xiiog fo-vk-** के लिये छत्तीसगढ़ शासन के स्मरण-पत्र में प्रकाशित **u-LFkk-fudk;** के वित्त संबंधी समकों के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य के **u-LFkk-fudk; ka** के कुल राजस्व में सहायता अनुदानों एवं सौंपे गये राजस्व के योगदान का विश्लेषण करेंगे। **I kj.kh Ø- 11-1** में

jkt; ds u-LFkk-fudk; ka ds dy jktLo ea l gk; rk vuqkuka , oa l kfi s x; s jktLo ds vuqkr प्रस्तुत किये गये हैं। समक 1998-99 से 2002-03 की अवधि के हैं।

11.6.2 सहायता अनुदानों तथा सौंपे गये राजस्व एवं अंतरण को मिलाकर देखने पर ज्ञात होता है, कि *; s l eLr u-LFkk-fudk; ka ds fy; s 1998&99 ea dy jktLo ds 33-40% Fks rFkk c<dj 2002&03 ea 57-23% gks x; A* पृथक से सहायता अनुदान 1998-99 में *u-LFkk-fudk; ka* के कुल राजस्व का 25.53% थे तथा बढ़कर 2002-03 में 39.64% हो गये। उसी अवधि में दूसरा घटक सौंपा गया राजस्व एवं अंतरण 7.87% से बढ़कर 17.59% हो गया। तीनों प्रकार के *u-LFkk-fudk; ka* के पृथक-पृथक अध्ययन से ज्ञात होता है, कि कुल अनुदानों एवं सौंपे गये राजस्व का योगदान *uxj ikfydk ifj'knka* के संबंध में 1998-99 के कुल राजस्व के 43.18% से बढ़कर 2002-03 में 57.58% हो गया, *uxj ikfyd fuxe* जहाँ अनुदान के दोनों घटकों का सम्मिलित योगदान 1998-99 में 27.63% था, बढ़कर 2002-03 में 57.52% हो गया। यद्यपि 1998-99 और 2002-03 में *uxj ipk; rka* के कुल राजस्व में योगदान अधिक था, अन्यथा वह स्थिर रहा है।

11.6.3 राज्य के *u-LFkk-fudk; ka* को बाहरी स्रोत, सहायता अनुदान एवं सौंपे गये राजस्व के रूप में राज्य सरकार से पर्याप्त राशियों का हस्तांतरण प्राप्त हो रहा है, जिसके परिणामस्वरूप उनके स्वयं के कर एवं गैर कर राजस्व (सम्मिलित) में गिरावट आई है तथा यह *uxj ikfyd fuxe ka* के मामलें में 1998-99 में कुल राजस्व के 69.90% से घटकर 39.66%, *uxj ikfydk ifj'knka* के मामलें में 52.60% से 38.04% तथा *uxj ipk; rka* के मामलें में 42.39% से घटकर 39.08% रह गया। नगरीय स्थानीय निकाय वित्त की यह तस्वीर हम पहले ही *~NRrhl x< jkT; dk uxjh; foRr , d ogr l eh{kk^* नामक अध्याय में प्रस्तुत कर चुके हैं। तस्वीर तब और कष्ट-दायक बन जाती है, जब हम पाते हैं, कि राज्य सरकार के हस्तांतरण *u-LFkk-fudk; ka* के किसी स्व:प्रयास से सम्बद्ध नहीं हैं। इस प्रवृत्ति का नस्था.निकाय स्वायतत्ता पर विपरीत प्रभाव हो सकता है।

11.7.0 नगरीय स्थानीय निकायों के सहायता अनुदानों का विस्तृत विश्लेषण :

11.7.1 हमारा विश्लेषण, राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग द्वारा सहायता अनुदानों एवं उनके घटकों के संबंध में आयोग को उपलब्ध कराये गये समंकों पर आधारित है। ये समंक XIII fo-vk द्वारा उपलब्ध कराये गये समंकों से अधिक विस्तृत है, साथ ही अधिक हाल की अवधि 2001-02 से 2004-05 के लिये हैं। हमने वर्ष 2000-01 के समंकों का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि यह पूर्ण वित्तीय वर्ष के लिये नहीं हैं। इन समंकों का उपयोग विश्लेषण में शामिल विभिन्न वर्षों के बीच तुलना को विकृत करेगा। जैसा कि पहले कहा गया है, राज्य सरकार प्रदत्त समंकों को किन्ही अर्थपूर्ण समूहों एवं उप-समूहों में वर्गीकृत नहीं किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समंकों को हमने पुनः दो समूहों में वर्गीकृत किया है : (i) **I gk; rk vuṅku** – जो पुनः विशिष्ट एवं सामान्य उद्देशीय में बांटा गया है तथा (ii) कुल करों से प्राप्त **I kī k x; k jktLo** एवं **u-LFkk-fudk; ka** द्वारा समाप्त किये गये कुछ करों की एवज़ में प्राप्त क्षतिपूर्ति। सामान्यतः **I kekk; mnṅs'kh; vuṅku** स्थानीय निकायों को **jk-fo-vk** एवं **dsfo-vk** की अनुशंसाओं के अनुसार दिये जाते हैं। **jk-fo-vk** एवं **dsfo-vk** की अनुशंसाओं के अनुसार दिये जाने वाले इन अनुदानों के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा और कोई अनुदान नहीं दिये जाते, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समंकों से स्पष्ट है। **fof'k"V vuṅkuka ea , s vuṅku 'kkfey gkrs gṣ tks fof'k"V mnṅs'; ka tṣ s I Melka dk I dkkj.kj iṣ ty 0; oLFkk] i; kbj.k I dkkj] vkfnokl h mi ; kstuk ds varxīr fof'k"V dk; l bR; kfn ds fy; s fn; s tkrs gṣ** अन्य उप-समूह जिसे सौंपा गया राजस्व एवं क्षतिपूर्ति कहा गया है, में कतिपय करों का सौंपा गया राजस्व तथा **u-LFkk-fudk; ka** द्वारा समाप्त किये गये कतिपय करों के कारण उन्हें हुई राजस्व की हानि की क्षतिपूर्ति जैसे चुंगी एवं यात्री कर।

11.7.2 **I kj .kh Ø- 11-2** में **jkT; ds u-LFkk-fudk; ka ds I gk; rk vuṅkuka , oa I kī s x; s jktLo rFkk {kfri frl dh I fefyr jkf'k; ka ds gLrkaj .kka** को प्रस्तुत किया गया है। समग्र हस्तांतरणों में **uxj ikfyd fuxeka** एवं **uxj ikfydk ifj 'knka** का प्रतिशत कम हुआ है, जबकि **uxj ipk; rka** का प्रतिशत बढ़ा है।

यह एक स्वस्थ प्रवृत्ति है, क्योंकि इससे राज्य सरकार के समग्र हस्तांतरणों में कुछ-कुछ प्रगामी तत्व परिलक्षित होता है।

11.7.3 I kj.kh Ø 11-3 में प्रस्तुत है, कि *jkt*; *Ijdkj Isgks okys vkr r gLrkaj.kka ea dkQh of) gpz gf* ये *uxj ikfyd fuxe*, *oa uxj ikfydk ifj'knka* के मामलों में 2 गुने से अधिक हो गये हैं, परन्तु *uxj ipk; rka* के लिये ये 3 गुने से ज्यादा रहे हैं। ये वृद्धियाँ विशिष्ट उद्देश्यों एवं सामान्य उद्देशीय अनुदानों के बजाय सौंपे गये राजस्व एवं कतिपय करों के एवज् में क्षतिपूर्ति में हुई वृद्धि के कारण अधिक हुई हैं।

11.8.0 प्रति-व्यक्ति अनुदान :

11.8.1 सहायता अनुदानों को *ifr&0; fDr vuqku jkf'k ds : i ea Hkh foHku u-LFkk-fudk; ka ds I nHkZ ea* देखा जा सकता है। I kj.kh Ø- 11-4 में संबंधित समंक प्रस्तुत हैं।

11.8.2 I kj.kh Ø- 11-4 दर्शाती है, कि *fof'k"V , oa I kekl;* दोनों प्रकार के *ifr0; fDr vuqkuka* का स्तर *uxj ipk; rka* के मामले में अधिकतम है, इसके बाद के क्रमों में है *uxj ikfydk ifj'knka* तथा *uxj ikfyd fuxe*। सौंपे गये राजस्व एवं क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिव्यक्ति हस्तांतरणों में प्रत्येक प्रकार के स्थानीय निकायों में वृद्धि हुई है। प्रतिव्यक्ति सौंपे गये राजस्व एवं क्षतिपूर्ति में वृद्धि के फलस्वरूप प्रत्येक प्रकार के *u-LFkk-fudk; ka* के प्रति-व्यक्ति हस्तांतरणों में काफी उछाल आया है।

11.9.0 हस्तांतरण संबंधी समंकों का वर्गीकरण :

11.9.1 जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है, हमने राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समंकों को दो वर्गों में पुनर्वर्गीकृत किया है - *I gk; rk vuqku ¼ kekl; mnns'kh; , oa fof'k"V nksuka dks I fefyr : i e½ rFkk I k¼ k x; k jktLo , oa {kfri frz dks feykdjA I kj.kh Ø- 11-5* में संबंधित समंक प्रस्तुत किये गये हैं।

11.9.2 I kj .kh Ø 11-5] 11-6 ,oa 11-7 दर्शाती हैं, कि **u-LFkk-fudk; ka dks gksus okys dgy gLrkarj.kka ea vf/kdkak Hkkx I kfi s x; s jktLo ,oa dfri ; djka ds ,ot+ ea iklr {kfrirz dk gM uxj ikfyd fuxeKa ds ekeys ea o"K 2001&02 ea ,s gLrkarj.k dgy gLrkarj.kka ds 87-91% Fks rFkk c<dj 2004&05 ea 92-45% gks x;A uxj ikfydk ifj'knka ds l xak ea bl h vof/k ea ,s gLrkarj.kka dk Hkkx 84-64% I s c<dj 86-95% gks x; kA uxj ipk; rka ds l xak ea ;g Hkkx 2001&02 ds 74-16% I s c<dj 2003&04 ea 86-64% gq/kj ijUrq 2004&05 ea ?kVdj 73-63% jg x; kA** इसके दूसरी ओर कुल हस्तांतरणों में सहायता अनुदानों का योगदान **uxj ikfyd fuxeKa** एवं **uxj ikfydk ifj'knka** के मामले में घटा तथा **uxj ipk; rka** के मामलों में उसमें वृद्धि हुई। **uxj ipk; rka** के कुल हस्तांतरणों में सहायता अनुदान के अंश में वृद्धि उत्साहजनक है। राज्य के **u-LFkk-fudk; ka** के कुल सहायता अनुदानों से सौंपे गये राजस्व एवं चुंगी तथा यात्री कर के एवज में क्षतिपूर्ति भुगतानों के अनुपात में वृद्धि हुई है। वास्तव में इन हस्तांतरणों को सहायता अनुदान मानना एक भ्रांति होगी, क्योंकि ये हस्तांतरण अनुदानों के लिये निर्धारित सिद्धांतों की संतुष्टि नहीं करते। इन हस्तांतरणों को विभिन्न **u-LFkk-fudk; ka** में आबंटन हेतु मानदण्ड सहायता अनुदानों से भिन्न हैं। प्रमुख मानदण्ड हैं, संबंधित **u-LFkk-fudk; ka** के द्वारा अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में इन करों से जुटाया गया राजस्व अथवा उनके द्वारा कर समाप्ति के कारण हुई हानि। इसके अतिरिक्त इन हस्तांतरणों के उद्देश्य भी वे नहीं हैं, जिन्हें सहायता अनुदान से प्राप्त करना चाहते हैं। इन दोनों हस्तांतरणों की प्रकृति एवं उद्देश्यों में अंतर के बावजूद इन दोनों को लगभग सभी राज्यों में कुल सहायता अनुदानों में शामिल किया जाता है।

11.9.3 स्थानीय वित्त जाँच समिति ने सौंपे गये राजस्व को सहायता अनुदान पर वरीयता दी थी, परन्तु कर जाँच आयोग ने सहायता अनुदानों को सौंपे गये राजस्व की तुलना में अधिक महत्व दिया, जब उन्होंने लिखा "हमारा मत है, कि सिद्धांत: स्थानीय निकायों को उन्हीं करों का कुछ लाभ मिलना चाहिये, जिनके संबंध में वे कुछ उत्तरदायित्व वहन करते हैं। जहाँ उत्तरदायित्व का तत्व नहीं है, वहाँ किसी कर के अंश को

सौंपना सहायता अनुदान जैसा ही होगा। जिसकी अनिश्चित राशि होगी तथा जो सहायता अनुदानों के सामान्य सिद्धांतों से असंगत होगा। अतएव हमारा मत है, कि सामान्यतः स्थानीय निकायों के वित्त पोषण के तरीके के रूप में करों के अंश सौंपे जाने की तुलना में सहायता अनुदानों को वरीयता देनी चाहिये।" राजस्व सौंपना एक प्रकार से उस राशि की प्रतिपूर्ति करना है, जो स्थानीय निकाय को प्राप्त होती, यदि निकाय स्वयं उस कर को लगाता। मध्यप्रदेश के द्वितीय **jkfo-vk** ने अनुशंसा की थी, कि स्थानीय निकायों द्वारा विलोपित करों के एवज में प्राप्त क्षतिपूर्ति हस्तांतरणों को सहायता अनुदान न मानकर सौंपा गया राजस्व माना जाय।

- 11.9.4 राज्य की सहायता अनुदान प्रणाली के अध्ययन से स्पष्ट होता है, कि सहायता अनुदान व्यवस्थित तरीके से नहीं दिये जा रहे हैं। विभिन्न मदों के अंतर्गत अनुदानों की राशि एक वर्ष से दूसरे वर्ष में तथा एक श्रेणी के स्थानीय निकाय से अन्य श्रेणी के बीच बदलती रही है। विभिन्न वर्षों में दिये गये अनुदानों की राशियों में एकरूपता नहीं है, इससे सहायता अनुदानों के सिद्धांतों का, जिनकी चर्चा हम इस अध्याय के पूर्व में कर चुके हैं, उल्लंघन होता है। अनुदान प्रदाता एजेन्सी के द्वारा निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन नहीं किया जा रहा है – पूर्वानुमान का सिद्धांत, क्योंकि अनुदानों की राशि वर्ष दर वर्ष बदल रही है। अनुदानों के आबंटन में वस्तुपरकता नहीं है। अनुदान का संबंध आवश्यकता के अनुरूप एवं क्षमता के विरुद्ध दिशा-दिशायी एवं क्षमता के साथ विपरीत है। अनुदानों का **u-LFkk-fudk; k** के कुल गैर-योजना साधनों से अनुपात में स्थिरता नहीं है। अनुदानों के साथ कुशल राजकोषीय प्रबंधन की प्रेरणा हेतु कोई शर्त नहीं है। अनुदानों का उचित वर्गीकरण नहीं है। प्रणाली में उचित मानीटरिंग एवं अनुदानों के उपयोग की समीक्षा का प्रावधान नहीं है। **u-LFkk-fudk; k** को मिलने वाले अनुदान काफी अधिक एवं संतोषजनक हैं, परन्तु उनके साथ-साथ **u-LFkk-fudk; k** के स्वयं के कर एवं गैर-कर राजस्व में गिरावट हुई है। सौंपे गये राजस्व एवं क्षतिपूर्ति को पृथक कर, यदि सहायता अनुदानों को देखा जाय, तो उन्हें पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। **, s vuqkuka dh jkf'k; k; o"l nj o"l cny jgh gñ fof'k"V vuqkuka ds l xak ea mrkj&p<ko vf/kd jgs gñ tñ k fd l kj .kh Ø- 11-5 l s 11-7** दर्शाती है। कुछ विशिष्ट अनुदान मात्र एक वर्ष तथा मात्र एक श्रेणी के **u-LFkk-fudk; k** को दिये गये हैं। वितरण बड़ी **u-LFkk-fudk; k** के पक्ष

में विषम हैं। सहायता अनुदानों का उपयोग पदक्रम में विभिन्न श्रेणी के **u-LFkk-fudk; k** के बीच क्षैतिज असंतुलनों को कम करने के लिये नहीं किया जा रहा है।

11.10.0 निष्कर्ष :

- 11.10.1 **ek= vuqkuka dh ek=k ea of) i ; klr ugha gA jkf'k dk fu/kkij.k , oa forj.k , d I qfjHkkf"kr ulfr ds vuq kj gkuk pkfg; A orZku ea vuqku LFkkuh; fudk; k dh vko' ; drkvs , oa I k/kuka ij vk/kkfjr ugha gA vuqku I x/th dkbZ dkM ugha g\$ ftI ea I jy , oa I qfjHkkf"kr fl)kr fu; e , oa ifO ; k, j nh x; h gkA** अनुदानों की राशि तथा उनका भुगतान, दोनों राज्य सरकार की वित्तीय अवस्था एवं उसके विवेक पर निर्भर हैं। स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य को प्राप्त करते हुये, सहायता अनुदान को स्थानीय निकायों को अपने स्वयं के साधन विकसित करने में हतोत्साहित नहीं करना चाहिये। अनुदानों को स्व-सहायता के लिये प्रेरणा, अवसर एवं साधनों के समानीकरण तथा राष्ट्रीय न्यूनतम दक्षता को बनाये रखने के उपाय के रूप में जारी रखना होगा।
- 11.10.2 प्रत्येक स्थानीय निकाय के लिये एक मूलभूत **I keld; mnas'kh; vuqku** होना चाहिये। ऐसे अनुदानों के लिये पात्र स्थानीय निकायों को **tul [; kj Hk&{ks= , oa I k/kuka** के आधार पर समूहों में वर्गीकृत कर देना चाहिये। मूलभूत अनुदान इतना हो कि अपने स्वयं के साधनों को ध्यान में रखने के बाद स्थानीय निकाय के पास अपने **vfuk; l , oa dk; I kfyd dk; k** के निष्पादन के लिये पर्याप्त साधन हों। मूलभूत अनुदानों में वर्ष दर वर्ष परिवर्तन न हो, वरन् कुछ वर्षों की एक उचित समयावधि के लिये सुनिश्चित हों। मूलभूत अनुदानों के अतिरिक्त विशेष मदों एवं सेवाओं के लिये **fof'k"V vuqku** होने चाहिये तथा इनके साथ उस विशेष सेवा के प्रदाय तथा **, d fu/kkfjr Lrj dh n{krk dks cuk; s j[kus , oa LFkkuh; fudk; }kjk jkT; I jdkj }kjk** निर्धारित सीमा तक **vi us Lo; a ds I k/kuka ds nkgu** की शर्तें होनी चाहिये। मूलभूत सामान्य उद्देशीय अनुदान के मामले में यह आवश्यक है, कि छोटे **u-LFkk-fudk; k** को बड़े की तुलना में अधिक प्रतिव्यक्ति अनुदान प्राप्त हो।

11.10.3 *I gk; rk vuqkuka dk i k f k f e d m n n s' ; L F k k u h ; f u d k ; k a d k s m u d s m R r j n k f ; R o k a d s H k k j , o a m u d s I k / k u k a d h U ; u r k d s v u q k r e a I g k ; r k n s u k g k u k p k f g ; A* अनुदान नियंत्रण के दो उद्देश्य होने चाहिये : (1) आवश्यकतायें एवं (2) राजकोषीय क्षमता। प्रणाली कठोर नहीं होनी चाहिये, क्योंकि नीतिगत उद्देश्यों में परिवर्तन के साथ-साथ स्थानीय साधन विकसित होते हैं तथा स्थानीय निकायों के साधनों की संरचना में भी बदलाव आता है। संक्षेप में, सहायता अनुदान वास्तव में स्तर उठाने का एक माध्यम होना चाहिये, जिसके अंतर्गत प्रत्येक *u-LFk-fudk;* को आवश्यकतानुसार प्राप्तियाँ होती हैं तथा वह क्षमतानुसार योगदान करती हैं।

11.10.4 चूंकि सहायता अनुदान आयोग द्वारा अनुशंसित होने वाले *j k t d k s h ; i d s t d k , d v f h k u H k x* है, हम *u-LFk-fudk;* के लिये राजकोषीय पैकेज संबंधी अध्याय में विभिन्न श्रेणी के *u-LFk-fudk;* के लिये विभिन्न प्रकार की अनुदान राशियों की अनुशंसा करेंगे। इस अध्याय में हमने राज्य के *u-LFk-fudk;* को सहायता अनुदान की वृहत समीक्षा की है, सहायता अनुदान नियमन हेतु कुछ सिद्धांत बताये हैं तथा यह परीक्षण भी किया है, कि राज्य में *u-LFk-fudk;* एवं राज्य सरकार द्वारा कहाँ तक इन सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है।

सारणी क्र 11.1

I g k ; r k v u q k u j j k T ; d h u - L F k - f u d k ; k a d s d g y j k t L o d s i f r ' k r e a
(1998-99 I s 2002-03)

<i>d a</i>	<i>u x j h ; L F k k u h ; f u d k ;</i>	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6	7
1.	<i>u x j i k f y d f u x e</i>					
(i)	सहायता अनुदान	23.86	40.17	23.19	39.71	44.24
(ii)	सौंपा गया राजस्व + अंतरण	3.77	6.73	5.50	5.64	13.28
(iii)	योग (i + ii)	27.63	46.90	28.69	45.35	57.52
2.	<i>u x j i k f y d k i f j " k n</i>					

(i)	सहायता अनुदान	21.78	25.43	30.07	28.27	26.39
(ii)	सौंपा गया राजस्व + अंतरण	21.40	14.60	16.74	21.66	31.19
(iii)	योग (i + ii)	43.18	40.03	46.81	49.93	57.58
3.	uxj i pk; r					
(i)	सहायता अनुदान	45.46	43.80	42.73	42.13	46.61
(ii)	सौंपा गया राजस्व + अंतरण	5.46	4.87	5.72	6.32	7.20
(iii)	योग (i + ii)	50.92	48.67	48.45	48.45	53.81
4.	I eLr uxjh; LFkkuh; fudk;					
(i)	सहायता अनुदान	25.53	35.41	26.17	37.16	39.64
(ii)	सौंपा गया राजस्व + अंतरण	7.87	8.74	7.92	9.63	17.59
(iii)	योग (i + ii)	33.40	45.15	34.09	46.79	57.23

(स्रोत: XII वें वित्त आयोग को प्रस्तुत स्मरण पत्र, वित्त विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा प्रदत्त समंकों के आधार पर प्रगणित)

सारणी क्र. 11.2

jkT; I jdkj I su-LFkk-fudk; k; dks d; gLrk; .k
½2001&02 I s 2004&05½

(लाख रु. में)

o"z	uxj i kfyd fuxe	uxj i kfydk i fj"kn~	uxj i pk; r	; ksx
1	2	3	4	5
2001-02	6442.42 (61.23)	2615.97 (24.86)	1463.07 (13.91)	10521.46 (100)
2002-03	8501.02 (63.45)	2562.64 (19.13)	2334.44 (17.42)	13398.10 (100)

2003-04	11737.61 (55.45)	4976.59 (23.51)	4453.08 (21.04)	21167.28 (100)
2004-05	13024.97 (55.69)	5241.41 (22.41)	5121.38 (21.90)	23387.76 (100)

(कोष्टक में प्रत्येक वर्ष से संबंधित योग से प्रतिशत दिये गये हैं)

स्रोत: राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त समंक

सारणी क्र. 11.3

जल संचयन एवं नगरपालिकाहरूको विकास
2001-02 देखि 2004-05

(लाख रु. में)

क्र.	नगरपालिका/नगर पंचायत	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
1.	नगर पालिक निगम	644.24	850.10	1173.76	1302.50
2.	नगर पालिका परिषद्	93.43	91.52	177.74	187.19
3.	नगर पंचायत	20.32	32.42	61.85	71.13

सारणी क्र. 11.4

नगरपालिकाहरूको विकास
2001-02 देखि 2004-05

(रु. में)

क्र.	नगरपालिका/नगर पंचायत	नगरपालिकाहरूको विकास		नगरपालिकाहरूको विकास		नगरपालिकाहरूको विकास	
		2001-02	2004-05	2001-02	2004-05	2001-02	2004-05
1.	नगर पालिक निगम	27.97	31.77	203.35	388.79	231.24	420.57
2.	नगर पालिका परिषद्	41.56	63.55	228.97	423.57	270.52	487.12

3.	नगर पंचायत	51.79	166.33	148.63	464.38	200.42	630.71
----	------------	-------	--------	--------	--------	--------	--------

सारणी क्र. 11.5
 uxj ikfyd fuxek ds dy gLrkj.k ka dk oxhdj.k
 2001-02 ls 2004-05½

(लाख रु. में)

o"l	I gk; rk vuqku			I kx; k jktLo ,oa {kfr i frL	; kx
	fof'k"V	I kekl;	; kx		
1	2	3	4	5	6
2001-02	395.12	384.00	779.12 (12.09)	5665.30 (87.91)	6442.42 (100)
2002-03	1111.59	552.19	1663.78 (19.57)	6837.24 (80.43)	8501.02 (100)
2003-04	950.44	671.83	1622.27 (13.82)	10115.34 (86.18)	11737.61 (100)
2004-05	417.25	566.75	984.00 (7.55)	12040.97 (92.45)	13024.97 (100)

(कोष्टक में दिये गये अंक संबंधित योग के प्रतिशत हैं)

सारणी क्र 11.6
 uxj ikfydk ifj'knka ds dy gLrkj.k ka dk oxhdj.k
 2001-02 ls 2004-05½

(लाख रु. में)

o"l	I gk; rk vuqku			I kx; k jktLo ,oa {kfr i frL	; kx
	fof'k"V	I kekl;	; kx		
1	2	3	4	5	6
2001-02	173.06	228.80	401.86 (15.36)	2214.11 (84.64)	2615.97 (100)

2002-03	481.43	287.94	769.37 (30.02)	1793.27 (69.98)	2562.64 (100)
2003-04	502.18	479.35	981.53 (19.72)	3995.06 (80.28)	4976.59 (100)
2004-05	334.83	349.00	683.83 (13.05)	4557.58 (86.95)	5241.41 (100)

(कोष्टक में दिये गये अंक संबंधित योग के प्रतिशत है)

सारणी क्र. 11.7

उद्योगों के निर्यातों का निर्यात योग
2001-02 से 2004-05

(लाख रु. में)

वर्ष	निर्यात योग			कुल निर्यात योग {फ्री ट्रेड}	प्रतिशत
	उद्योगों के निर्यातों का निर्यात योग	उद्योगों के निर्यातों का निर्यात योग	उद्योगों के निर्यातों का निर्यात योग		
1	2	3	4	5	6
2001-02	151.52	226.58	378.10 (25.84)	1084.97 (74.16)	1463.07 (100)
2002-03	412.46	272.18	684.64 (29.33)	1649.80 (70.67)	2334.44 (100)
2003-04	245.13	349.93	595.06 (13.36)	3858.02 (86.64)	4453.08 (100)
2004-05	881.77	468.84	1350.61 (26.37)	3770.77 (73.63)	5121.38 (100)

(कोष्टक में दिये गये अंक संबंधित योग के प्रतिशत है)